Order sheet [Contd]

case No: MACC - 09 / 17 Signature of Parties or Order or proceeding with signature of Presiding Officer Pleaders where necessayry प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीट के समक्ष प्रस्तुत । 🧟 09-09-17 आवदेक रामदास अवयस्क एवं उसकी मां सियादेवी सहित श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उप०। अनावेदक क0–1 व 2 द्वारा श्री दिनेश सिंह गुर्जर अधिवक्ता उप0। 🧥 अनावदेक क0–3 द्वारा श्री ए.के.अग्रवाल एवं श्री सुनील कांकर अधि उप०। बीमा कंपनी अनावेदक क0—3 की ओर से श्री सुनील कांकर अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि वे इस प्रकरण में अनावेदक क0–3 की ओर से राजीनामा करने के लिए अधिकृत हैं । उन्हें अनावेदक क0–3 के द्वारा इस प्रकरण में राजीनामा करने के लिए अधिकृत किया गया है। उभयपक्ष की ओर से सहमतिपत्र लोक अदालत डॉकेट भरकर संयुक्त रूप से राजीनामा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया। आवेदक के द्वारा डॉकेट पर हस्ताक्षरित किए गये। जिसे श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ने पहचाना है। बीमा कंपनी एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कांकर के द्वारा डॉकेट पर हस्ताक्षर किये गये। प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि बीमा कम्पनी दुर्घटना में आवेदक रामदास को आई चोटों के लिये आवदेक को राशि रूपये 40,000 /-(चालीस हजार) अदा करेगी तथा अनावदेक क्रमाकं 1 व 2 के विरुद्ध प्रकरण निरस्त किया जावे। उभय पक्ष की ओर से स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया। राजीनामा विधिवत प्रकट होता है। अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामे के आधार पर आवदेक के पक्ष में निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-अना.क. 3 बीमा कपंनी दुर्घटना में आवेदक रामदास को आई चोटों के लिए क्षतिपूर्ति स्वरूप आवदेक को राशि 40,000 / -(चालीस हजार) रूपये दो माह की अवधि में अदा करें। विहित इस अवधि में यदि राशि की अदायगी नहीं की जाती है तब विलंबित अवधि के लिये देय राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की राशि भी अदा करें 🌠

उक्त क्षतिपूर्ति की राशि 40,000 / —(चालीस हजार) रूपये

आवेदक को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान किये जावें।

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessayry
ALLA STATES	 अनावदेक क्रमाक 1 व 2 के संबंध में दुर्घटनाक्षतिपूर्ति का दावा निरस्त किया जाता है। उभय पक्ष अपना—अपना वाद वहन करेंगे । अधिवक्ता शुल्क एक हजार रूपये लगाया जावे। प्रतिलिपि पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे। (दिनेश सिंह गुर्जर) (बृजराज सिंह गुर्जर) (मोहम्मद अजहर) सदस्य पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, खण्डपीठ क.19 	
(2	Rel A	
	ALLAND STATE OF STATE	